

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 32 / 2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 03.05.2019

- उनवान
- बनाम
- सत्यमेव जयते
- Copy - Not Original
1. उदयराम पिता काशीराम जाति सुथार निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।  
प्रार्थी
  1. किशन सिंह पिता बदन सिंह जाति राजपुत निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  2. नारायण सिंह पिता भैरु सिंह जाति राजपुत निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  3. रामचन्द्र पिता चमना जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  4. छगन लाल पिता पन्नालाल जाति पूर्बिया निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  5. रतनलाल पिता उदयराम जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  6. प्रेमबाई पत्नी मांगी लाल जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  7. मोहन पिता कालु सिंह जाति राजपुत निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  8. अभय सिंह पिता चमन सिंह जाति राजपुत निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  9. झमकु लाल पिता शंकर लाल जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  10. जमना लाल पिता भैरु लाल जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  11. मनोहर सिंह पिता कालु जाति राजपुत निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  12. भूरा लाल पिता कालु जाति सुथार निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  13. राम लाल पिता कालु जाति सुथार निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  14. हजारि पिता छोगा जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  15. शंकर बाई पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
  16. शान्ता पुत्री लेहरू जाति जाट निवासी जेलवालों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 11.06.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात

जेलवालों का खेडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की खाता संख्या 75 में स्थित आराजी संख्या 272, 273, 274 कुल किता 3 व खाता संख्या 61 में स्थित आराजी संख्या 268, 269, 270 कुल किता 3 व खाता संख्या 81 में स्थित आराजी संख्या 244, 245, 246, 247 कुल किता 4 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि जेलवालों का खेडा पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन की खाता संख्या 75 में स्थित आराजी संख्या 272, 273, 274 कुल किता 3 व खाता संख्या 61 में स्थित आराजी संख्या 268, 269, 270 कुल किता 3 व खाता संख्या 81 में स्थित आराजी संख्या 244, 245, 246, 247 कुल किता 4 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक गोयल)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी कपासन